



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-ओ.आर.-अ.-03022026-269790
CG-OR-E-03022026-269790

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 439]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 2, 2026/माघ 13, 1947

No. 439]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 2, 2026/MAGHA 13, 1947

रेल मंत्रालय

[पूर्व तट रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

भुवनेश्वर, 2 फरवरी, 2026

(रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 20ए के तहत सूचना)

का.आ. 468(अ).—रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 1989(24/89) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20ए की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण यहां संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में "वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर उरलाम – श्रीकाकुलम के बीच किमी 746/19-21 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-425 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण" इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का इरादा घोषित करती है।

उक्त भूमि में हितवद्ध कोई भी व्यक्ति, अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से (30) तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा(1) के अधीन प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन पर आपत्ति उठा सकेगा।

प्रत्येक आपत्ति, सक्षम प्राधिकारी अर्थात् भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (काला) राजस्व मंडलीय अधिकारी (आरडीओ)/ श्रीकाकुलम को वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर उरलाम – श्रीकाकुलम के बीच किमी 746/19-21 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-425 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण के संबंध में लिखित रूप में आवेदन प्रस्तुत की जाएगी तथा ऐसे आपत्ति के आधार निर्धारित किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी,

आपत्तिकर्ता को चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो या फिर किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से, सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसे आपत्तियां सुनने के पश्चात् और आवश्यक आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगा।

उक्त अधिनियम के 20D की उप-धारा(2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कोई भी आदेश को अंतिम माना जाएगा। इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की योजनाएं और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

विशेष रेलवे परियोजना अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीकाकुलम जिले में “वाल्टेयर डिवीजन की मुख्य लाइन पर उरलाम – श्रीकाकुलम के बीच किमी 746/19-21 पर मानवयुक्त एलसी संख्या एमएल-426 को बंद करने के बदले रोड ओवर ब्रिज का निर्माण” के लिए संरचनाओं के साथ या बिना संरचनाओं के अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण (अनुलग्नक1) यहां संलग्न है।

जिले का नाम और राज्य: श्रीकाकुलम, औरआंध्र प्रदेश

(अनुलग्नक1)

क्र.सं.	गांव का नाम	एल. पी. एम. नंबर	एकड़ में कुल क्षेत्रफल	एकड़ में अधिग्रहित क्षेत्र	भूमि का किस्म	भूमि का वर्गीकरण
1	पूनम	286	0.17	0.334	गीली	निजी भूमि
2	पूनम	290	0.04	0.004	गीली	निजी भूमि
3	पूनम	296	0.24	0.147	गीली	निजी भूमि
4	पूनम	297	0.72	0.389	गीली	निजी भूमि
5	पूनम	298	0.12	0.071	गीली	निजी भूमि
6	पूनम	299	0.1	0.066	गीली	निजी भूमि
7	पूनम	301	0.18	0.043	गीली	निजी भूमि
8	पूनम	304	0.71	0.016	गीली	निजी भूमि
9	पूनम	354	0.21	0.121	गीली	निजी भूमि
10	पूनम	355	0.28	0.063	गीली	निजी भूमि
11	पूनम	356	0.11	0.071	गीली	निजी भूमि
12	पूनम	357	0.17	0.081	गीली	निजी भूमि
13	पूनम	358	0.19	0.121	गीली	निजी भूमि
14	पूनम	363	0.23	0.085	गीली	निजी भूमि
15	पूनम	364	0.09	0.090	गीली	निजी भूमि
16	पूनम	365	0.06	0.052	गीली	निजी भूमि
17	पूनम	366	0.13	0.051	गीली	निजी भूमि
18	पूनम	367	0.11	0.017	गीली	निजी भूमि
19	पूनम	368	0.04	0.046	गीली	निजी भूमि
20	पूनम	369	0.04	0.040	गीली	निजी भूमि
21	पूनम	370	0.03	0.020	गीली	निजी भूमि
22	पूनम	372	0.05	0.051	गीली	निजी भूमि
23	पूनम	373	0.07	0.069	गीली	निजी भूमि
24	पूनम	374	0.07	0.074	गीली	निजी भूमि

25	पूनम	375	0.07	0.066	गीली	निजी भूमि
26	पूनम	376	0.25	0.005	गीली	निजी भूमि
27	पूनम	377	0.09	0.094	गीली	निजी भूमि
28	पूनम	378	0.12	0.114	गीली	निजी भूमि
29	पूनम	381	0.42	0.248	गीली	निजी भूमि
30	पूनम	383	0.25	0.011	गीली	निजी भूमि
31	पूनम	384	0.15	0.145	गीली	निजी भूमि
32	पूनम	385	0.26	0.068	गीली	निजी भूमि
33	पूनम	386	0.16	0.005	गीली	निजी भूमि
34	पूनम	391	0.3	0.065	गीली	निजी भूमि
35	पूनम	495	0.27	0.077	पोराम्बोक	सरकारी भूमि
36	पूनम	496	0.15	0.073	गीली	निजी भूमि
37	पूनम	497	0.12	0.089	गीली	निजी भूमि
38	पूनम	498	0.23	0.009	गीली	निजी भूमि
39	पूनम	505	0.45	0.021	गीली	निजी भूमि
40	पूनम	506	0.28	0.189	गीली	निजी भूमि
41	पूनम	507	0.24	0.044	गीली	निजी भूमि
42	पूनम	508	0.1	0.095	गीली	निजी भूमि
43	पूनम	509	0.12	0.040	गीली	निजी भूमि
44	पूनम	510	0.18	0.143	गीली	निजी भूमि
45	पूनम	511	0.16	0.057	गीली	निजी भूमि
46	पूनम	512	0.45	0.219	गीली	निजी भूमि
47	पूनम	1816	0.04	0.002	गीली	निजी भूमि
48	पूनम	3061	0.051	0.051	गीली	निजी भूमि
49	पूनम	3062	0.409	0.235	गीली	निजी भूमि
एकड़ में कुल अधिग्रहित क्षेत्र				4.284		
क्र.सं.	गांव का नाम	एल. पी. एम. नंबर	एकड़ में कुल क्षेत्रफल	एकड़ में अधिग्रहित क्षेत्र	भूमि का किस्म	
1	पोन्नमपेटा	42/19p	1.64	0.15	पोराम्बोक	
2	पोन्नमपेटा	42/20p	0.6	0.14	मनावरी	
3	पोन्नमपेटा	42/22p	0.44	0.27	मनावरी	
4	पोन्नमपेटा	42/23p	0.13	0.10	मनावरी	
5	पोन्नमपेटा	43/11p	0.26	0.14	मनावरी	
6	पोन्नमपेटा	43/12p	0.74	0.12	सूखा	
7	पोन्नमपेटा	44/1p	0.21	0.20	मनावरी	
8	पोन्नमपेटा	44/2p	0.17	0.03	मनावरी	
9	पोन्नमपेटा	44/18p	0.16	0.01	मनावरी	
10	पोन्नमपेटा	44/21p	0.18	0.20	मनावरी	
11	पोन्नमपेटा	44/22A	0.12	0.03	मनावरी	

12	पोन्नमपेटा	44/23p	0.1	0.06	मनावरी
13	पोन्नमपेटा	44/24	0.05	0.05	मनावरी
14	पोन्नमपेटा	44/25p	0.04	0.03	मनावरी
15	पोन्नमपेटा	44/26p	0.5	0.06	मनावरी
16	पोन्नमपेटा	44/27p	0.3	0.01	मनावरी
17	पोन्नमपेटा	44/28p	0.54	0.21	मनावरी
18	पोन्नमपेटा	44/28p	0.54	0.06	मनावरी
19	पोन्नमपेटा	44/28B1	0.54	0.03	मनावरी
20	पोन्नमपेटा	44/29p	0.17	0.13	मनावरी
21	पोन्नमपेटा	45	1.6	0.25	पोराम्बोक
22	पोन्नमपेटा	46/1p	1.69	0.16	सूखा
एकड़ में कुल अधिग्रहित क्षेत्र				2.44	

अमूर्त

गांव का नाम	सरकारी भूमि	निजी भूमि			कुल
		गीली भूमि / मनावरी	सूखा भूमि	पोराम्बोक	
पूतम	0.077	4.207	0.00	0.00	4.284
पोन्नमपेटा	0.000	1.760	0.28	0.40	2.44
कुल	0.077	5.967	0.28	0.40	6.724

[फा. सं. CAO/CON/RSP/VSKP/ROBs/425/20A]

अजय कुमार सामल, मुख्य इंजीनियर (निर्माण-II)

MINISTRY OF RAILWAYS

[East Coast Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 2nd February, 2026

Notice under Section 20A of the Railways Act - 1989

S.O. 468(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways (Amendment) Act, 1989 (24/89) (herein after referred as the said Act.), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the Land, brief description of which is given in the schedule annexed here to is required for the execution of **Special Railway Project**, namely, “**Construction of Road over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML - 425 at Km 746/19-21 between Urlam - Srikakulam on Main Line of Waltair Division**” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of (30) thirty days from the date of publication of the notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the competent authority, namely **Competent Authority Land Acquisition (CALA) i.e. The Revenue Divisional officer (RDO), Srikakulam for Construction of Road over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML - 425 at Km 746/19-21 between Urlam - Srikakulam on Main Line of Waltair Division** in writing, and shall set out grounds thereof and competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further inquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of 20D of the said Act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of land (Annexure-I) attached here with to be acquired with or without structures, for Special Railway Project namely “**Construction of Road over Bridge in lieu of closing of manned LC No ML - 425 at Km 746/19-21 between Urlam - Srikakulam on Main Line of Waltair Division**” in Srikakulam district in the state of Andhra Pradesh.

Name of the District & State: Srikakulam & Andhra Pradesh

(Annexure-I)

Sl. No.	Name of the Village	LP Number	Total Area In Acres	Acquired Area In Acres	Kisam of Land	Classification Of Land
1	PONNAM	286	0.17	0.334	WET	PRIVATE LAND
2	PONNAM	290	0.04	0.004	WET	PRIVATE LAND
3	PONNAM	296	0.24	0.147	WET	PRIVATE LAND
4	PONNAM	297	0.72	0.389	WET	PRIVATE LAND
5	PONNAM	298	0.12	0.071	WET	PRIVATE LAND
6	PONNAM	299	0.1	0.066	WET	PRIVATE LAND
7	PONNAM	301	0.18	0.043	WET	PRIVATE LAND
8	PONNAM	304	0.71	0.016	WET	PRIVATE LAND
9	PONNAM	354	0.21	0.121	WET	PRIVATE LAND
10	PONNAM	355	0.28	0.063	WET	PRIVATE LAND
11	PONNAM	356	0.11	0.071	WET	PRIVATE LAND
12	PONNAM	357	0.17	0.081	WET	PRIVATE LAND
13	PONNAM	358	0.19	0.121	WET	PRIVATE LAND
14	PONNAM	363	0.23	0.085	WET	PRIVATE LAND
15	PONNAM	364	0.09	0.090	WET	PRIVATE LAND
16	PONNAM	365	0.06	0.052	WET	PRIVATE LAND
17	PONNAM	366	0.13	0.051	WET	PRIVATE LAND
18	PONNAM	367	0.11	0.017	WET	PRIVATE LAND
19	PONNAM	368	0.04	0.046	WET	PRIVATE LAND
20	PONNAM	369	0.04	0.040	WET	PRIVATE LAND
21	PONNAM	370	0.03	0.020	WET	PRIVATE LAND
22	PONNAM	372	0.05	0.051	WET	PRIVATE LAND
23	PONNAM	373	0.07	0.069	WET	PRIVATE LAND
24	PONNAM	374	0.07	0.074	WET	PRIVATE LAND
25	PONNAM	375	0.07	0.066	WET	PRIVATE LAND
26	PONNAM	376	0.25	0.005	WET	PRIVATE LAND
27	PONNAM	377	0.09	0.094	WET	PRIVATE LAND
28	PONNAM	378	0.12	0.114	WET	PRIVATE LAND
29	PONNAM	381	0.42	0.248	WET	PRIVATE LAND

30	PONNAM	383	0.25	0.011	WET	PRIVATE LAND
31	PONNAM	384	0.15	0.145	WET	PRIVATE LAND
32	PONNAM	385	0.26	0.068	WET	PRIVATE LAND
33	PONNAM	386	0.16	0.005	WET	PRIVATE LAND
34	PONNAM	391	0.3	0.065	WET	PRIVATE LAND
35	PONNAM	495	0.27	0.077	PORAMBOKE	GOVT LAND
36	PONNAM	496	0.15	0.073	WET	PRIVATE LAND
37	PONNAM	497	0.12	0.089	WET	PRIVATE LAND
38	PONNAM	498	0.23	0.009	WET	PRIVATE LAND
39	PONNAM	505	0.45	0.021	WET	PRIVATE LAND
40	PONNAM	506	0.28	0.189	WET	PRIVATE LAND
41	PONNAM	507	0.24	0.044	WET	PRIVATE LAND
42	PONNAM	508	0.1	0.095	WET	PRIVATE LAND
43	PONNAM	509	0.12	0.040	WET	PRIVATE LAND
44	PONNAM	510	0.18	0.143	WET	PRIVATE LAND
45	PONNAM	511	0.16	0.057	WET	PRIVATE LAND
46	PONNAM	512	0.45	0.219	WET	PRIVATE LAND
47	PONNAM	1816	0.04	0.002	WET	PRIVATE LAND
48	PONNAM	3061	0.051	0.051	WET	PRIVATE LAND
49	PONNAM	3062	0.409	0.235	WET	PRIVATE LAND
Total Acquired Area In Acres				4.284		
Sl. No	Name of the Village	Survey Number	Total Area In Acres	Acquired Area In Acres	Classification of Land	
1	PONNAMPETA	42/19p	1.64	0.15	PORAMBOKU	
2	PONNAMPETA	42/20p	0.6	0.14	MANAVARI	
3	PONNAMPETA	42/22p	0.44	0.27	MANAVARI	
4	PONNAMPETA	42/23p	0.13	0.10	MANAVARI	
5	PONNAMPETA	43/11p	0.26	0.14	MANAVARI	
6	PONNAMPETA	43/12p	0.74	0.12	DRY	
7	PONNAMPETA	44/1p	0.21	0.20	MANAVARI	
8	PONNAMPETA	44/2p	0.17	0.03	MANAVARI	
9	PONNAMPETA	44/18p	0.16	0.01	MANAVARI	
10	PONNAMPETA	44/21p	0.18	0.20	MANAVARI	
11	PONNAMPETA	44/22A	0.12	0.03	MANAVARI	
12	PONNAMPETA	44/23p	0.1	0.06	MANAVARI	
13	PONNAMPETA	44/24	0.05	0.05	MANAVARI	
14	PONNAMPETA	44/25p	0.04	0.03	MANAVARI	
15	PONNAMPETA	44/26p	0.5	0.06	MANAVARI	
16	PONNAMPETA	44/27p	0.3	0.01	MANAVARI	
17	PONNAMPETA	44/28p	0.54	0.21	MANAVARI	
18	PONNAMPETA	44/28p	0.54	0.06	MANAVARI	
19	PONNAMPETA	44/28B1	0.54	0.03	MANAVARI	
20	PONNAMPETA	44/29p	0.17	0.13	MANAVARI	
21	PONNAMPETA	45	1.6	0.25	PORAMBOKU	

22	PONNAMPETA	46/1p	1.69	0.16	DRY
Total Aquired Area In Acres				2.44	

Abstract

Name of the Village	Govt land	PRIVATE LAND			Total
		Wet land/ Manavari	Dry Land	Poramboku	
PONNAM	0.077	4.207	0.00	0.00	4.284
PONNAMPETA	0.000	1.760	0.28	0.40	2.44
Total	0.077	5.967	0.28	0.40	6.724

[F. No. CAO/CON/RSP/VSKP/ROBs/425/20A]

AJAYA KUMAR SAMAL, Chief Engineer (Con-II)

////